कार्यालय जिला पंचायत, वाराणसी।

पंजीयन / नवीनीकरण सूचना–

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत,वाराणसी में निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2017–2018 ठेकेदारी पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्तियों तथा गत वर्ष पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण हेतु दिनांक–01–04–2017 से 20–04–2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न किया जाना अनिवार्य / आवश्यक हैः–

1– निवास प्रमाण–पत्र एवं मूल पत्र व्यवहार का पता (शपथ पत्र के साथ)।

2– चरित्र प्रमाण–पत्र जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–4)पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

3– हैसियत प्रमाण–पत्र पॉच लाख रू0 का जो जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (टी0–5) पर निर्गत किया गया हो, जो दो वर्ष के अन्दर का हो।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में पंजीयन कराने के इच्छुक व्यक्ति तथा पूर्व में पंजीकृत ठेकेदारों को अवगत कराया जाता है कि उनका पंजीयन / नवीनीकरण इस शर्त के साथ पंजीकृत / नवीनीकृत किया जायेगा कि जिस तिथि को उनका चरित्र प्रमाण–पत्र / हैसियत प्रमाण–पत्र की समयावधि समाप्त होगी उसी तिथि के अगले दिवस से संबंधित ठेकेदार जिला पंचायत, वाराणसी कार्यालय के आमंत्रित निविदा में भाग नहीं लेंगे एवं कार्यालय के किसी भी कार्यवाही में सहभागी नहीं होंगे। अर्थात उनका पंजीयन स्थगित समझा जायेगा। जब तक की संबंधित ठेकेदारों द्वारा चरित्र प्रमाण–पत्र / हैसियत प्रमाण–पत्र कार्यालय में प्रस्तुत न कर दिया जाये।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र अपने अभिभावक का दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को रजिस्टर्ड पावर आफ एटोनी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा पावर आफ एटोनीदाता का भी चरित्र प्रमाण–पत्र जो गृह जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर (टी0–4) निर्गत किया गया है जो दो वर्ष के अन्दर का हो देना अनिवार्य है।

4– जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन / नवीनीकरण सामान्य जमानत धनराशि (मु0 25,000.00 रू0 नगद जिलानिधि में एवं मु0 25,000.00 रू0 का राष्ट्रीय बचत पत्र / किसान विकास पत्र / बैंक एफ0डी0आर0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, वाराणसी के पक्ष में बंधक होगा।

5– व्यापार कर में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र(टिन नम्बर,रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एंव अदेयता प्रमाण पत्र)संलग्न करना अनिवार्य होगा।

6– आयकर विभाग द्वारा प्राप्त पैन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित छायाप्रति।

7– अनुभव प्रमाण–पत्र।

8– पासपोर्ट साइज की दो फोटो जो किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित हो।

9– जिला पंचायत में ठेकेदारी पंजीयन शुल्क मु0 10,000.00 रू0 एवं नवीनीकरण शुल्क मु0 2,000.00 रू0 जमा करना होगा।

10–जिला पंचायत में जो भी व्यक्ति / संस्था ,ठेकेदारी का कार्य करना चाहेगा ,उसे स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप पर देना होगा । यह स्वघोषणा पत्र रू0 100.00 के स्टाम्प पर सत्यापित कराकर देना होगा ।

11–निर्माण नियमावली की धारा 18 के अन्तर्गत ठेकेदार का नवीनीकरण पूर्व में किये गये कार्य के गुणदोश के आधार पर किया जायेगा। के पूर्व वृत्त की जॉचोपरान्त नवीनीकरण कार्य अनुमोदित किया जायेगा।

12– जिला पंचायत के पंजीकृत ठेकेदार जिनका नवीनीकरण अपेक्षित है उनको मात्र चरित्र प्रमाण–पत्र / हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–4 (यदि किसी व्यक्ति द्वारा हैसियत प्रमाण–पत्र टी0–5 अपने अभिभावक का दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति का चरित्र प्रमाण–पत्र टी0–4) / टी0–6 एवं नवीनीकरण शुल्क देय होगा।